

प्रेस नोट दिनांक 14.02.2020

1. दिनांक 13.01.20 को वादी उ०नि० श्री मनीष कुमार चतुर्वेदी थाना को०नगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अनवर पुत्र नजीर नि० बेनीगंज थाना को०नगर अयोध्या आदि 03 नफर सभी गिर० अभि० गण द्वारा सट्टा लगाकर जुआ खेलना मौके से 01 अदद सट्टा रजिस्टर, 02 अदद कैलकुलेटर, 01 अदद पेन तथा मालफड़ व जामा तलाशी के 860 रुपये बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को०नगर में मु०अ०सं० 675/20 धारा 419, 420 भादवि व 13 जुआ अधि० भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 13.01.20 को वादी उ०नि० श्री शीतला प्रसाद यादव थाना कैण्ट अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि आशीष सोनकर पुत्र दीपक नि० सदर बाजार थाना कैण्ट अयोध्या आदि 06 नफर सभी गिर० अभि० गण द्वारा सार्वजनिक स्थान पर ताश के पत्ते के साथ रुपये की हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेलना मौके से मालफड़ व जामा तालाशी के 3432 रुपये व ताश के 52 पत्ते बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कैण्ट में मु०अ०सं० 0482/20 धारा 13 जुआ अधि० भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 13.01.20 को वादी उ०नि० श्री राम नरेश वर्मा थाना पूराकलन्दर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि जिसके संबंध में शेषराम पुत्र छवि लाल नि० फुलवरिया थाना पूराकलन्दर अयोध्या गिर० अभियुक्त के कब्जे से 50 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। थाना पूराकलन्दर में मु०अ०सं० 584/20 धारा 60 आबकारी अधि० भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 13.01.20 को वादी श्री अखिलेश कुमार सिंह पुत्र राधेश्याम सिंह नि० बेनवा बेनिया थाना गोसाईगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि त्रिवेणी प्रसाद वर्मा पुत्र स्व० भगवानदीन नि० बेनवा बेनिया थाना गोसाईगंज अयोध्या आदि 03 नफर अभि० गण द्वारा वादी को मारना पीटना तथा गाली व जान माल की धमकी देना। जिसके संबंध में थाना गोसाईगंज में मु०अ०सं० 449/20 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 13.01.20 को वादी उ०नि० श्री देवेन्द्र नाथ राय थाना रौनाही अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि जिसके संबंध में गुड्डू पुत्र दयाराम नि० पिरखौली थाना रौनाही अयोध्या गिर० अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। थाना रौनाही में मु०अ०सं० 468/20 धारा 60 आबकारी अधि० भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
6. दिनांक 13.01.20 को वादी श्री संतोष कुमार सिंह थानाध्यक्ष पूराकलन्दर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि मोहित वर्मा पुत्र संजय वर्मा नि० कटौना थाना हैदरगंज अयोध्या गिर० अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 01 अदद जिन्दा व 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु०अ०सं० 582/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
7. दिनांक 13.01.20 को वादी श्री संतोष कुमार सिंह थानाध्यक्ष पूराकलन्दर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि रवि वर्मा पुत्र दान बहादुर वर्मा नि० कटौना थाना हैदरगंज अयोध्या गिर० अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 01 अदद जिन्दा व 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु०अ०सं० 583/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।